न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : गुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 354 / 2024

वाद दायरी दिनांक :- 25.08.2021

कन्हैयालाल आयु 40 वर्ष पुत्र हुणताराम जाति नाई निवासी सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।
2. मुनिम पुत्र मोतीराम उम्र 41 वर्ष जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं ।
3. केसर पुत्र ईसर जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
4. कृष्णकुमार पुत्र दयानन्द जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
5. छोटी पत्नी दयानन्द जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
6. बलवीर पुत्र ईसर जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
7. विनोद पुत्र दयानन्द जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
8. राधेश्याम पुत्र ईसर जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
9. रामनिवास पुत्र दयानन्द जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
10. श्रीराम पुत्र ईसर जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
11. शंकर पुत्र ईसर जाति नाई निवासीगण सीगड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं

वादीगण

दिनांक 02.01.2025

दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सीगडी पटवार हल्का सीगड़ा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 188 रकबा 0.23 हेक्टर, ख.न. 189 रकबा 1.63 हेक्टर, ख.न. 194 रकबा 2.21 हैक्टर, ख.न. 387 रकबा 0.46 हैक्टर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 4.53 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 11 की पैत्रिक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 11 काबिज काश्त है। काबिज काश्त बाबत, कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 फोरमल पक्षकार है उनसे वादी का नाम दुरूस्ती बाबत कोई विवाद नहीं है।वाके ग्राम सीगड़ी में मोतीराम नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी सन्तोष थी उक्त मोतीराम व सन्तोष के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र सन्तान प्रतिवादी नं. 2 मुनिम का जन्म हुआ। उसके पश्चात उक्त मोतीराम का देहान्त हो गया। तो मोतीराम की पत्नी ने हुणताराम से नाता / विवाह कर लिया है जिसके नुत्फे से वादी कन्हैयालाल का जन्म हुआ।वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से सहवन से वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम दर्ज हो गया जो कि गलत है एंव काबिले दुरूस्ती है। वादी का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम हुणताराम दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज करराजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।वादी के नाम से बने सभी सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, शिक्षा के दस्तावेज आदि में भी वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज है। इसी भांति राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज करवाने का अधिकारी है।वादी ने पटवार हल्का से उक्त भूमि पर अपना किसान केडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिये दिनाक 23.02.2021 को जमाबन्दी की नकल लेकर बैंक में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

पेश की तो बैंक अधिकारीयों ने उक्त नाम दुरुस्त करवाने के लिये कहा तो तहसीलदार महोदय से सलाह मशवरा किया तो श्रीमान जी के यहां दावा पेश करने की सलाह दी उक्त रोज वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।दावा बाबत वादकारण दिनाक 23.02.2021 को जमाबन्दी की नकल लेकर तहसीलदार महोदय से नाम दुरूस्ती करवाने के लिये कहने पर तहसीलदार महोदय ने श्रीमान के यहां दावा पेश करने की सलाह दी तब वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।,है कि वाद वादी डिकी इस अगर का फरमाया जावे कि–क– वाके ग्राम सीगढ़ी पटवार हल्का सीगड़ा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 188 रकबा 0.23 हेक्टर, ख.न. 189 रकबा 1.63 हेक्टर, ख.न. 194 रकबा 2. 21 हैक्टर, ख.न. 387 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे।

ख– यह कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र मोतीरास के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त फरमाया जावे।

ग– यह कि अन्य सिद्धि जो भुल से चाही जाने से रह गई हों और वादी के हक में हो हस्ब कायदा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मुफीद वादी फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 02 की ओर से जरिये एडवाकेट इकबालिया जबाब दावा पेश किया । प्रतिवादी न0 03, 07,08,09 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी न0 04 लगायत 06 व 09 लगायत 10 की ओर सुरेन्द्र एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी न0 04 व 10 की ओर जबाब दावा पेश किया कि वाद की धारा । मे वर्णित जमीन जर व्हत बायत दोई विवाद नही है । परन्तु वादी ना नाम दरुस्त करवाने वा अधिकारी नही है।वाद पत्र की धारा 2 जित पवार से दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है ।वाद पत्र की धारा 3 जित पुकार ते दशै है अस्वीकार है क्योकि उक्त जमीन जर बहत मे राजन्त रिकार्ड तही दर्ज हुआ है। आर वादी के पिता का नाम हणूताराम था और वादी के पिता का नाम मोती नही था और न ही उसका वारिस नही है । इसलिए ाादी कोई रिकार्ड दुरुस्त करवाने का अधिकारी नहीं है ।याद पत्र के धारा १ वा पार से दर्द है स्वीकार नहीं है क्योकि पादी के समस्त दस्तावेजात व रिवार्ड सही चना हुआ है और पादी एकताराम था ही पुत्र है । पहिए अपने पिता का नाम मोतीराम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है । वाद पत्र की धारा 5 है स्वीवार नही है क्योकि यादी वा राजन्व रिचार्ड सही बना हुआ है और उनके पिता का नाम मोतीराम नही है अम्माराम ही है । इवी तर वादी गलत रूप से जमीन हड़पने की नियत ते झूठा दावा प्रस्तुत विया है ।वाद पत्र की धारा 6 में वादी को कोई वाद वारण पदा नही हुआ है । इसतिर बिना पाद करण के दावा पलने योग्य नही होने के कारण खारिज होने योग्य है । दावा की धारा 10 मे चाहा गया अनुतोष वादी प्राप्त का अधिकारी नहीं है। क्योकि जमीन और बहस का वर्तमान रिकार्ड सही दर्ज है । जिसमे वादी विसी प्रकार की दुरुस्ती अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है ।

प्रतिवादी न0 01 तहसीलदार मण्डावा ने जबाब पेश किया कि कन्हैयालाल के दादादी के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम मोतीराम था। मोतीराम के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुनिम हुआ। उक्त मुनिम के जन्म पश्चात मोतीराम की मृत्यु होने पर मोती की पत्नी की शादी हुणता राम से हुई जिसके पश्चात वादी का जन्म हुआ। उक्त वादी कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल व कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम एक ही व्यक्ति है।

मिसल में निम्न प्रकार से तन्कीयात कायम की गईः–

1. आया मद संख्या 01 में वादग्रस्त भूमि में दर्ज वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम करवाने का अधिकारी है। भा. स.वादी

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

2. आया वादी याद में वर्णितानुसार भूमि में संशोधन करवाने का अधिकारी नहीं है।

भा.स. प्रतिवाद

वाद की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिस पर दस्तावेजात प्रर्दश 01 राशन कार्ड, प्रर्दश 2 आधार कार्ड, प्रर्दश–3 गैस कनेक्शन की पास बुक, प्रर्दश– 4 बैक पास बुक, प्रर्दश –5 पासपोर्ट, प्रर्दश– 6 जमाबन्दी सम्वत 2074–77 डाले गये। प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित रहने के कारण जीरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सीगढ़ी पटवार हल्का सीगड़ी की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 188 रकबा 0.23 हेक्टर, ख.न. 189 रकबा 1.63 हेक्टर, ख.न. 194 रकबा 2. 21 हैक्टर, ख.न. 387 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज के आदेश प्रदान करें।

विधि में भूमि की धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा धारा 88 में अधिकारों की धोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम है। वाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सिगड़ी के खाता संख्या 78 में वादी का दर्ज नाम कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 354/2022 कन्हैयालाल बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 02.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सिगड़ी खाता संख्या 78 में वादी का दर्ज नाम कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हुणताराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.01.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा